

Conversion of PSUs into Joint Venture

829. SHRI VIJAY J. DARDA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

- (a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the Business Standard, dated the 12th August, 1998 under the caption "Government plant to convert 23 heavy loss making PSUs into joint venture firms";
- (b) if so, the reaction of Government to the observations made therein and facts of the matter;
- (c) the details of policy changes under consideration; and
- (d) the names of 23 PSUs which are being considered for joint venture?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government have taken a decision to introduce a Separation Scheme by extending benefits of Voluntary Retirement Scheme (VRS) to employees of following unviable Public Sector Undertakings (PSUs) of the Department of Heavy Industry where Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)/Disinvestment Commission have at one stage or the other reached at the conclusion that these units were nonviable and expressed preliminary/final view regarding winding up.

1. National Instruments Ltd. (NIL)
2. Bharat Ophthalmic Glass Ltd. (BOGL)
3. Weighbird India Ltd. (WIL)
4. National Bicycle Corpn, of India Ltd. (NBCIL)
5. Cycle Corpn, of India Ltd. (CCIL)
6. Mining & Allied Machinery Corpn. (MAMC)

7. Tannery & Footwear Corp. Ltd.
(TAFCO)

8. Rehabilitation Ind. Corpn. Ltd.
(RIC)

(d) Govt, have given in principle approval in January, 1997 to convert some of the PSUs under the Deptt, of Heavy Industry into Joint Ventures as part of long term strategy to make them strong and viable. Names of 23 PSUs which have so far been identified are:

1. Praga Tools Ltd. (PTL)
2. Hindustan Cables Ltd. (HCL)
3. Scooters India Ltd. (SIL)
4. National Industrial Development Corporation (NIDC)
5. Mandya National Paper Mills Ltd. (MNPM)
6. Instrumentation Ltd. (IL)
7. Tannery & Footwear Corporation of India (TAFCO)
8. HMT Ltd.(HMT)
9. H.M.T. (Bearings) Ltd.
[HMT(B)]
10. Cement Corporation of India Ltd.
(CCI)
11. Bharat Heavy Plates & Vessels Ltd. (BHPV)
12. Bharat Pumps & Compressors Ltd.
(BPCL)
13. Hindustan Salts Ltd. (HSL)
14. Sambhar Salts Ltd. (SSL)
15. Bharat Leather Corporation (BLC)
16. Tungabhadra Steel Products Ltd.
(TSPL)
17. Hindustan Photo Films Mfg. Ltd.
(HPF)
18. Lagan Jute Machinery Corporation
(LAGAN)
19. Bridge & Roof C. Ltd. (B&R)
20. Hindustan Paper Corporation
(HPC)

21. NEPA Ltd. (NEPA)
 22. Engineering Projects (India) Ltd.
 (EPI)
 23. Tvre Corporation of India Ltd.
 (TCIL)

उत्तर प्रदेश के लिए विकास केन्द्र

830. श्री मनोहर कांत ध्यानी : क्या उद्योग मंत्री 8 जून, 1998 को राज्य सभा में अंतारांकित प्रश्न 1241 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लिए सभी आठ विकास केन्द्रों के लिए संस्थानीय प्रदान कर दी गई हैं;

(ख) क्या प्रदेश सरकार से पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किए जाने वाले केन्द्र के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य को आबंटित 8 विकास केन्द्रों में से सात विकास केन्द्रों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। पौड़ी गढ़वाल में शेष बचे केन्द्र के बारे में परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। उनसे परियोजना रिपोर्ट शीघ्रता से प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ

831. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक नीति में किए गए अद्यतन परिवर्तनों के अन्तर्गत विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किए जाने पर अधिक जोर दिया गया है;

(ख) इस समय जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की दर कितनी है और इसमें प्रत्येक राज्य का प्रतिशत कितना है;

(ग) सरकार द्वारा औद्योगिक विकास दर को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(घ) क्या राज्यों से इस संबंध में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से

(घ) जी, हां। सरकार द्वारा 1991 में घोषित लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्योगों की नीति में खादी और ग्रामोद्योगों के साथ-साथ लघु और अति लघु उद्यमों को भी मजबूत बनाने पर बल दिया गया है ताकि वे ग्रामीण औद्योगिकरण की अपनी जिम्मेदारियों को और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। इसमें अवसंरचनात्मक विकास क्षेत्र में उचित प्रोत्साहनों और निवेश अभिकल्प की परिकल्पना भी की गयी है ताकि उद्योगों के प्रसार को विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, बढ़ावा दिया जा सके। सरकार द्वारा दिसम्बर, 1997 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए घोषित नयी औद्योगिक नीति में भी, उस क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु, पर्याप्त रियायतें और प्रोत्साहन दिये गये हैं। क्षेत्रीय स्तरों के लिए आर्थिक सूचकांकों पर सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जा रही है, तथापि, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद से राज्यों में औद्योगिक से पिछड़ेपन अथवा क्षेत्रीय असंतुलनों में प्रबलता का संकेत नहीं मिलता है। वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान समग्र औद्योगिक वृद्धि 4.6% थी।

नयी औद्योगिक नीति के तहत, औद्योगिक लाइसेंसीकरण हटाने से, स्थान संबंधी निर्णयों का व्यक्तिगत निवेशकों की व्यावसायिक समय पर ही छोड़ दिया गया है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों में अवसंखनात्मक सुविधाओं का विकास करके वहां के औद्योगिकरण के प्रभावी ढंग से संवर्धन के लिए विकास केन्द्रों की एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना मौजूद है। विकास केन्द्र योजना के दायरे में आने वाले ग्रामीण और जन-जातीय क्षेत्रों में विकसित स्थल, विद्युत, जल, दूरसंचार, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, सड़कें, बैंक, कच्चा माल, भंडारण और विपणन केन्द्र, सामान्य सेवा सुविधा केन्द्र और प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन और विकास हेतु सरकार द्वारा 1994 में तैयार की गयी एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना को भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में, देश के जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 2 मिलियन रोजगारों के